राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 9(128)राज–1/2025-30971 **जयपुर, दिनांक : e-Signed**

–: आदेश :–

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों के नगरीय क्षेत्र विस्तार अथवा नवगठन कर निर्धारित क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया जाता है। **पाली जिले के** नगरीय क्षेत्राधिकार में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में स्थित भूमि धारकों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान लाभार्थियों के रुप में रजिस्ट्रेशन कर फार्मर आईडी बनाने में बाधाएं आ रही है। इस उत्पन्न बाधां के निराकरण हेतु समस्त एलजी कोड रहित शहरी ग्राम (Urban Village) के कोड जनरेट किए जाने हैं।

राजस्व मंडल अजमेर एवं जिला कलक्टर, पाली से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा अनुरूप ग्रामीण से नगर निगम, पाली क्षेत्र में शामिल ग्राम के किसान लाभार्थियों का फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अद्यतन करने हेतु **राजस्व ग्राम पुनायता का एलजी कोड (LGD Code) जनरेट करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करती है :–**

क्र. सं.	जिला / तहसील	पटवार मण्डल / भूअनि.वृत्त	नाम शहरी निकाय	राजस्व ग्राम का विवरण (जिनके एलजी कोड जनरेट किए जाने है)			
				ग्राम का नाम	कुल खसरे	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या (2011 वर्ष)
	1	2	3	4	5	6	7
1	पाली / पाली	पुनायता / पाली	नगर निगम पाली	पुनायता Punayata	563	986.2015	230075

उक्त कार्य संपादन हेतु **निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर** को अधिकृत किया जाता है। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश शहरी ग्रामों के एल. जी. कोड जनरेट करने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। इससे नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम/वार्ड आदि के पुनर्गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। **यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

आज्ञा से,

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.07.15 22:39:02 IST
Reason: Approved

Revenue (Gr.-1) Dept., Govt. Secretariat, Jaipur
e-mail : **ds1.rev@rajasthan.gov.in**
RajKaj Ref No.: 23051404
M e-Sign

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
7. उप–निबंधक एवं राज्य नोडल अधिकारी, एलजीडी, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
10. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर
11. श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, शासन सचिवालय, जयपुर
1. अतिरिक्त निदेशक, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उप–निदेशक), राजस्व को आदेश राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में ई–गजट प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
13. संबंधित जिला कलक्टर उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
14. रक्षित प्रति।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Revenue (Gr.-1) Dept., Govt. Secretariat, Jaipur
e-mail : **ds1.rev@rajasthan.gov.in**

RajKaj Ref No.: 23051404

M e-Sign

Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.07.15 22:39:02 IST
Reason: Approved